दिनांक 15.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 15/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना रबूपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 74 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.07.2022 को थाना रबूपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैंची पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्तों 1–प्रवीन उर्फ विशाल उर्फ गब्बर 2–शाहरूख 3–रहीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 74 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके पास से बरामद रूपया, मोटर साइकिल, लूट/चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीन उर्फ विशाल उर्फ गब्बर निवासी मुरादगढ़ी थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–शाहरूख निवासी तिरथली थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–रहीम निवासी तिरथली थाना रबूपुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लूट/चोरी के 74 हजार रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना बिवांर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **23 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 15.07.2022 को थाना बिवांर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बिवांर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरीद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 23 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिवांर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिवांर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फरीद मोहम्मद निवासी वावू मोहल्ला पूर्वी तरौंस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, हालपता—कैलाश नगर तालाब पार वार्ड नं0—11 कुम्हारी थाना कुम्हारी जनपद दुर्ग छत्तीसगढ।

बरामदगी

1—23 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत के चोरी के 03 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.07.2022 को थाना सरसावा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे बाईपास पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–पबनीत 2–राजिक को गिरफ्तार किया गया। अन्य दो बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये कीमत के चोरी के 03 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो पंजाब प्रान्त के लुधियाना, जांलधर, फगवाड़ा से वाहन चोरी कर पश्चिमी उ0प्र0 में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पबनीत निवासी दुगरी फेस–2 थाना आतम पार्क जनपद लुधियाना पंजाब।

2–राजिक निवासी अम्बेहटा थाना नकुड जनपद सहारनपुर, हालपता गुरू गोविन्द सिंह नगर थाना टिब्बा रोड जनपद लुधियाना पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 40 लाख रूपये कीमत के चोरी के 03 चार पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद मऊ/थाना मुहम्मदाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा, 04 जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.07.2022 को थाना मुहम्मदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीरा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1—मो0 रजा 2—प्रिंस 3—आरिस 4—हंसराज 5—विशाल 6—आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा, 04 जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 रजा निवासी महरूमपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

2—प्रिंस निवासी मड़हा पट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

3—आरिस निवासी महरूमपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

4—हंसराज निवासी बरहदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

5—विशाल निवासी साल्हेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

6—आकाश निवासी अलियाबाद कटाई थाना जीयपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2— 02 अवैध पिस्टल, 03 जीवित/खोखा कारतूस।

3— 01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस।

4— 03 अवैध तमंचा, 04 जीवित/खोखा।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.07.2022 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगंज चौराहे के पास पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुधीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधीर निवासी ग्राम नगल चोखे थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मऊ/थाना सरायलखन्सी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.07.2022 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बढुआ गोदाम तिराहा पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1– राघव उर्फ प्रथम

2—मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राघव उर्फ प्रथम निवासी खलिशापुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

2—मनीष कुमार निवासी गुम्मा थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

जनपद चन्दौली/थाना धीना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **75 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 15.07.2022 को थाना धीना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इमिलिया तिराहे के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त अरविन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 75 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना धीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरविन्द निवासी ग्राम परसदा थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–75 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद बाराबंकी/थाना हैदरगढ़

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **125 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 15.07.2022 को थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकरा मोड़ के पास से मादक पदार्थ तस्कर बृजेश उर्फ बच्चन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 125 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हैदरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजेश उर्फ बच्चन निवासी किलहनुआ मजरे रौली थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–125 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमपाल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट–द्वितीय मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/506/120बी भादवि में अभियुक्त तिलकराम को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त जुनैद को अन्तर्गत धारा 302/120बी भादवि व 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद हरदोई (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 03 लाख 75 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस ने अभियुक्त कौशल पाल सिंह पुत्र नीलकंठ सिंह निवासी हूसेपुर थाना सांडी जनपद हरदोई द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 03 लाख 75 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>एस0टी0एफ0–महाराष्ट्र में पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ो रूपये की ठगी कर फरार गैंग का शातिर अपराधी कुलदीप राजन रूँगटा गिरफ्तार।</u>

आज दिनांक 15–07–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 व मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ो रूपये की ठगी करने आदि के संबंध में थाना भइंदर पर दिनांक 14–07–2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 330/22 धारा 420/406/34 आई0पी0सी0 में शामिल अपराधी कुलदीप राजन रूँगटा को गिरफ्तार करने में उल्लेखऩीय सफलता प्राप्त हुई है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

कुलदीप राजन रूँगटा पुत्र प्रमोद निवासी 1207 सोनम इन्द्रप्रस्थ, न्यू गोल्डेन ईस्ट, भइंदर ईस्ट, जनपद थाणे, महाराष्ट्र।

<u>बरामदगीः–</u>

1–मोबाइल फोन–02

2–एस0बी0आई0 बैंक का ए0टी0एम0 कार्ड–01अदद।

3–आधार कार्ड–01

<u>गिरफ्तारी का स्थान/समयः–</u>

मैदागिन, थाना कोतवाली, जनपद वाराणसी। दिनांक 15–07–2022 समय– पूर्वाह्न 11. 30 बजे।

थाणे (महाराष्ट्र) में फर्जी प्रोपराइटर कम्पनी खोलकर पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करने आदि के संबंध में दिनांक–14–07–2022 को थाना भइंदर पर मु0अ0सं0 330/22 धारा 420/406/34 आई0पी0सी0 पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमें के अभियुक्त कुलदीप राजन उर्फ रूँगटा के जनपद वाराणसी में छिपे होने की सूचना प्राप्त होने पर मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस द्वारा अभिसूचना को साझा करते हुए एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग मांगा गया था। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम व मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस की टीम द्वारा स्थानीय स्तर पर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 15–07–2022 को उक्त मुकदमें के अभियुक्त कुलदीप राजन रूँगटा को जनपद वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मैदागिन के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभिसूचना संकलन, पुलिस विवेचना एवं पूछताछ से पाया गया कि कुलदीप राजन रूँगटा एवं अन्ना गोपाल अमरूते ने मिलकर वर्ष 2018 में तीन प्रोपराइटर कंपनी क्रमशः

1—ए0एस0 स्क्योरिटी कंपनी, 2—ए0जी0 स्क्योरिटी कंपनी एवं 3— के0के0 स्क्योरिटी कंपनी जनपद थाणे (महाराष्ट्र) के मीरा भइंदर में खोला था। वहॉ के स्थानीय लोगों से 50 हजार रूपये से लेकर करोड़ो रूपये तक जमा करते थे और ग्राहको को डेढ़ वर्ष में उनके पैसे को दोगुना करने का लालच देते थे। ग्राहकों के जमा हुये पैसे को ये लोग अपने डिमेट एकाउण्ट में जमा कर इस पैसे से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। इनकी कंपनियों में लगभग दो हजार से भी अधिक लोगों ने करोड़ो रूपये इनके यहॉ जमा किये थे। आज से लगभग 10 दिन पहले अन्ना गोपाल अमरूते ने अपने तीनों कंपनियों का आफिस व मकान बेचकर फरार हो गया था तथा कुलदीप राजन रूॅगटा भी वहॉ से फरार होकर वाराणसी में आकर छुप कर रह रहा था। ग्राहको द्वारा इस संबंध में थाना भइंदर में मु0अ0सं0 330/22 धारा 420/406/34 आई0पी0सी0 पंजीकृत कराया था। आज मीरा भाइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट पुलिस टीम एवं एस0टी0एफ0 टीम द्वारा कुलदीप राजन रूॅगटा को गिरफ्तार किया गया।

थाना भइंदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 330/22 धारा 420/406/34 आई0पी0सी0 में गिरफ्तार उक्त अभियुक्त को थाना कैण्ट वाराणसी में दाखिल करते हुये मा0 न्यायालय वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही तथा मामले की समस्त अग्रिम कार्यवाही मीरा भइंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट (महाराष्ट्र) द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—विगत लगभग 18 वर्षों से फरार रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख) का पुरस्कार घोषित तथा हत्या व लूट की सनसनीखेज घटना में वांछित अभियुक्त गिरीश मिश्रा मध्य प्रदेश के जनपद सीहोर से गिरफ्तार।

दिनांक 15—07—2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लगभग 18 वर्षो से फरार व रूपये 01 लाख का पुरस्कार घोषित हत्या व लूट की सनसनीखेज घटना में वांछित अभियुक्त गिरीश मिश्रा उर्फ अश्वनी कुमार को मध्य प्रदेश के जनपद सीहोर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— गिरीश मिश्रा उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 सियालाल मिश्रा, निवासी ग्राम शाखा, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी।

बरामदगीः—

1— 02 अदद मोबाइल फोन।

2— 01 अदद आधार कार्ड।

3— 01 अदद डेबिट कार्ड।

4— नकद 540/— रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय :—

जैन किराना स्टोर के पास, निकट रेलवे स्टेशन सीहोर मध्य प्रदेश, दिनांक—15.07.2022 समय 09:15 बजे प्रातः

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा पिछले कुछ माह से लगातार अभियुक्त गिरीश मिश्रा उपरोक्त की गतिविधियों पर इलेक्ट्रानिक संसाधनों के माध्यमों से सतर्क निगरानी रखी जा रही थी, जिससे अभियुक्त उपरोक्त की लोकेशन मध्य प्रदेश के जनपद सीहोर में मिल रही थी साथ ही साथ अभियुक्त के नाम व हुलिया बदलकर जनपद सीहोर में ही निवास करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस लोकेशन/सूचना पर गठित टीम द्वारा मध्य प्रदेश के जनपद सीहोर में पहॅुचकर अभियुक्त गिरीश मिश्रा को रेलवे स्टेशन सीहोर के समीप स्थित जैन किराना स्टोर के पास से समय 09:15 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त गिरीश मिश्रा उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 04—07—1994 को मैं अपने पिता सियालाल मिश्रा के साथ ट्यूब बेल के बगल वाले खेत में काम कर रहा था कि अचानक शिव सागर सिंह के छोटे भाई राम सागर सिंह, उनका गनर राम लोचन उर्फ नउवा, सुघर सिंह एवं कालू राम गोसाई आदि लोगों ने मेरे पिता की गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसी दिन मैंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प ले लिया था, जिसके 05 वर्ष बाद मैंने पिता की हत्या करने वाले एवं मेरे पड़ोसी राम लोचन उर्फ नउवा को अक्टूबर 1999 में ग्राम कटविटा ककराली, थाना सैनी के पास गोली मार कर हत्या कर दी थी एवं कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था। जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई प्रभास मिश्रा व चचेरे भाई अखिलेश मिश्रा की भी ट्रक एक्सीडेन्ट में मेरे विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गयी है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद मैंने दिनांक 27—02—2005 को शिव सागर सिंह, जो उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, को सिराथू रेलवे क्रासिंग के पास खड़ी गाड़ी पर बम फेंक कर दहशत फैला दिया एवं शिव सागर सिंह की रायफल लेकर उसी से उनकी हत्या कर दी थी तथा दोनों रायफल को रेलवे क्रासिंग से थोड़ी दूर फेंक कर भाग गया था। दूसरी तरफ से शिव सागर सिंह के ड्राइवर कालू राम गोसाई ने भी मेरे ऊपर 12 बोर की बन्दूक से फायर कर दिया, जिसके छर्रे मेरे गले में बांयी तरफ अन्दर घुस गये, जिससे मैं घायल हो गया, जो आज भी मेरे ब्रेन में मौजूद है, जिसका इलाज काफी दिनों तक मैंने जनपद बांदा से महाराष्ट्र के नासिक से लेकर गया, बिहार तक कराता रहा, इसी के कारण मैं पैरालाईज भी हो गया। वर्ष—2008 में मैं रामलला मठ, कपसिया, थाना परईयॉ, जनपद गया, बिहार चला गया और वहीं मठ में अपना नाम अश्वनी कुमार व भेष बदल कर रहने लगा। बाद में मठ से थोड़ी दूर कपसिया में एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें एक किराने की दुकान भी खोल कर अपनी रोजी—रोटी चला रहा था। इसी बीच आई0बी0सी0 Independent Business Consultant (स्वतन्त्र व्यापारी सलाहकार) जो डा0 विवेक बिन्द्रा द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें मैंने 30,640/— रूपये जमा करके दिनांक 15.06.2022 से सीहोर, रेलवे स्टेशन के पास बड़े बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहा था कि आज आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। फरारी के लगभग इन 18 वर्षों में मैं जनपद कौशाम्बी कभी नहीं गया।

<u>सनसनीखेज हत्याकाण्ड का संक्षिप्त विवरणः—</u>

प्रयागराज—कानुपर नेशनल हाइवे पर प्रयागराज से 70 कि0मी0 दूर थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत **ग्राम सभा "शाखा"** में हुई गाली—गलौज से शुरू विवाद ने दो सम्भ्रान्त परिवारों को बर्बाद कर दिया। उक्त ग्राम सभा में एक तरफ सम्भ्रान्त एवं सम्पन्न परिवार के शिवसागर सिंह पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक व बालीबाल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने 1980 के दशक में ही क्षेत्रीय राजनीति में कदम रखते हुये अपनी अच्छी पैठ बना ली थी, जो बाद में ब्लाक प्रमुख सिराथू व सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, इलाहाबाद/कौशाम्बी के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही साथ शिव सागर के अन्य तीन भाईयों रामसागर सिंह (पूर्व प्रधान व पूर्व जिला पंचायत सदस्य), राम किंकर सिंह (सचिव, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक), श्याम सागर सिंह (किसान) ने भी राजनीति में अच्छी पैठ बना ली थी। दूसरी तरफ उक्त **ग्राम सभा ''शाखा''** के ही सम्भ्रान्त एवं आर्थिक व सामाजिक रूप से सम्पन्न परिवारों में से एक सियालाल मिश्र उर्फ वैद्य जी का परिवार था। सियालाल मिश्रा उर्फ वैद्य जी प्राइमरी पाठशाला अजूहा, थाना सैनी में प्रधानाध्यापक थे तथा इलाके में आयुर्वेदिक दवा देने का कार्य भी करते थे, जिसके चलते इलाके में उनकी अच्छी लोकप्रियता थी। उनके चार पुत्र प्रभास मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, गिरीश मिश्रा, प्रकाश मिश्रा उर्फ बाबू जी, विकास मिश्रा उर्फ दरोगा थे।

1990 के दशक में दोनों सम्भ्रान्त परिवारों के शिव सागर सिंह तथा सियालाल मिश्रा उर्फ वैद्य जी ने मिलकर ग्राम गुरू के पुरवा, थाना सैनी में एक जूनियर हाईस्कूल की स्थापना किये, जिसके अध्यक्ष शिवसागर सिंह के पिता श्री अर्जुन सिंह को बनाया गया। कुछ वर्षों बाद ही विद्यालय से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में मन—मुटाव/विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना गहराता चला गया कि एक दिन 04 जुलाई 1994 को शिव सागर सिंह के छोटे भाई राम सागर सिंह, उनका गनर राम लोचन उर्फ नउवा, सुघर सिंह एवं कालू राम गोसाई आदि लोगों ने मिलकर ग्राम शाखा स्थित वैद्य जी के ट्यूब बेल पर आवेश में आकर सियालाल मिश्रा से गाली—गलौज करने

लगे, जिस पर सियालाल मिश्रा ने भी रामसागर सिंह से आवेश में बोला कि **गाली मत दो चाहे गोली मार दो।** इतने पर रामसागर सिंह के प्राइवेट गनर राम लोचन उर्फ नउवा, निवासी ग्राम शाखा जो सियालाल मिश्रा का पडोसी भी था और उनसे द्वेष–भाव भी रखता था, ने सियालाल मिश्रा को गोली मार दी, जिसके बाद लगभग सभी ने बारी–बारी से सियालाल मिश्रा के ऊपर फायर झोंक दिया। कुल चार गोली लगने के बाद वहीं पर बगल के खेत में काम कर रहे गिरीश मिश्रा ने कुल चार गोलियों से घायल अपने पिता को लेकर इलाज हेतु प्रयागराज जा रहा था कि पुरामुफ्ती के पास सियालाल मिश्रा उर्फ वैद्य जी की मृत्यु हो गयी। सियालाल मिश्रा की हत्या का मुकदमा उनके परिजनों द्वारा राम सागर सिंह व अन्य के विरूद्ध थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत कराया गया। उक्त हत्या के मुकदमें की पैरवी करने के लिये प्रभास मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा (सियालाल मिश्रा का बड़ा पुत्र) एवं उसका चचेरा भाई अखिलेश मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा कौशाम्बी से इलाहाबाद आते जाते थे। दिनांक–31.07.2001 को अचानक प्रभास मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा व उसके चचेरे भाई अखिलेश मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्रा की ट्रक से थाना कोखराज क्षेत्र कौशाम्बी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, जिस पर मुन्ना मिश्रा के परिजनों द्वारा कालू राम गोसाई, शिव सागर सिंह, राम सागर सिंह, सुघर सिंह के विरूद्ध हत्या का अभियोग थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत कराया गया।

मात्र 15 वर्ष की उम्र में गिरीश मिश्रा ने अपने पिता, भाई व चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने की बात मन में ठान लिया और वर्ष–1999 में अपने पिता की हत्या करने वाले राम सागर सिंह के प्राइवेट गनर राम लोचन उर्फ नउवा को ग्राम कटविटा ककराली, थाना सैनी के पास गोली मारकर हत्या कर दी एवं मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया। जेल से जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–27.02.2005 को जब शिव सागर सिंह (सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के सदस्य) अपने सरकारी व प्राइवेट गनर के साथ एक निमन्त्रण से वापस आ रहे थे तो कौशाम्बी के सिराथू रेलवे क्रासिंग के पास शिवसागर सिंह की खड़ी गाड़ी पर गिरीश मिश्रा द्वारा रायफल व बम से हमला कर दिन–दहाड़े शिवसागर सिंह की हत्या कर दी गयी तथा मौके से फरार हो गया।

उक्त दिन—दहाड़े हत्याकाण्ड की घटना व पूर्व की घटनाओं ने तत्समय इलाहाबाद मण्डल में सनसनी फैला दी थी। उपरोक्त हत्याकाण्ड में गिरीश मिश्रा व उसके चचेरे भाई रूद्र प्रसाद मिश्रा पुत्र लक्ष्मीकान्त मिश्रा एवं अन्य के विरूद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ। **दिनांक 27.02.2005 से गिरीश मिश्रा लगातार पिछले लगभग 18 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज उ0प्र0 द्वारा 1,00,000/— रूपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।**

मु0अ0सं0 32/2005 धारा 396/412/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी में वांछित अभियुक्त उपरोक्त को कोतवाली सीहोर, जनपद सीहोर में दाखिल कर चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, सीहोर, मध्य प्रदेश के समक्ष पेश कर 03 दिवस ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरीश मिश्रा पुत्र सियालाल मिश्रा नि0 ग्राम शाखा, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0 का ज्ञात आपराधिक इतिहास :—

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	256/1999	147/148/149/302 भादवि	सैनी	कौशाम्बी
2.	79/2003	25/27 आर्म्स एक्ट	सैनी	कौशाम्बी
3.	32/2005	396/412/120 बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट (वांछित)	सैनी	कौशाम्बी
4.	84/2005	3/4 गुण्डा एक्ट	सैनी	कौशाम्बी
5.	135/2005	392/411 भादवि (वांछित)	सैनी	कौशाम्बी
6.	55/2006	147/148/149/307 भादवि (वांछित)	सैनी	कौशाम्बी

—————————